उत्तर प्रदेश सरकार

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

(प्रकाशन प्रभाग)

संख्या :–104/सू0एवंज0सं0वि0(एलईडी)–110/2020

लखनऊ : दिनांक : 01 जुलाई, 2021

ई–निविदा प्रपत्र

वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 हेतु प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, नीतियों एवं उपलब्धियों का व्यापक प्रचार–प्रसार Installation and operating of LED Video Van On Rental Basis के आधार पर करने के लिये दरें आमंत्रित की जाती हैं, जिसके आधार पर निविदा में चयनित फर्मों को सूचीबद्ध किया जायेगा।

ई–निविदा ऑन लाइन दिनांक 02 जुलाई, 2021 को प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 31 जुलाई, 2021 को अपराह्न 12:00 बजे तक http://etender.up.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है। ऑन लाइन प्राप्त समस्त निविदाओं की टेक्निकल बिड दिनांक 03 अगस्त, 2021 को अपराह्न 03:00 बजे खोली जायेगी। उक्त आमंत्रित निविदा का विस्तृत विवरण, निविदा प्रपत्र, नियम व शर्तें ई–टेण्डरिंग की वेब साइट http://etender.up.nic.in और सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की वेब साइट http://information.up.gov.in पर उपलब्ध है। ऑनलाइन निविदा हेतु फर्म द्वारा निविदा शुल्क हेतु रू0 4,000/– (रूपये चार हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट देना होगा। ऑनलाइन निविदा डालने हेतु निविदाताओं के पास किसी डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग अथॉरिटी द्वारा जारी डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना तथा उक्त वेबसाईट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। टेक्निकल बिड में अर्ह पायी गयी सेवा प्रदाता एजेन्सियों की ही फाईनेंशियल बिड खोली जायेगी। एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त/अस्वीकार करने का अधिकार सूचना निदेशक का होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त ई–निविदा में संलग्न किये गये प्रपत्र, अभिलेखों की हार्ड कॉपी, टेण्डर फीस, एफ0डी0आर0/बैंक ड्राफ्ट मूलरूप में तकनीकी निविदा खोलने की तिथि से 02 घंटे पूर्व कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

निविदा की शर्तें (A)

क्र0सं0	वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 (आवश्यकतानुसार अवधि बढ़ाई भी जा सकती है) की निविदा हेतु
1.	निविदा फीस के रूप में रू0 4,000/– (रू0 चार हज़ार मात्र) का डी0डी0, जो निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग लखनऊ के पक्ष में देय होगा, संलग्न करना होगा, जो किसी शेड्यूल्ड कामर्शिलय बैंक से निर्गत होना चाहिए।
2.	अर्नेस्ट मनी के रूप में रू0 5,00,000–00 (रूपये पाँच लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 जो निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग लखनऊ के पक्ष में देय होगा, संलग्न करना होगा, जो किसी शेड्यूल्ड कामर्शिलय बैंक से निर्गत होना चाहिए। एम0एस0एम0ई0 स्टार्ट अप पंजीकरण फर्मों को निर्धारित मानकों के अनुरूप छूट प्रदान की जायेगी।
3.	विगत तीन वर्ष (2018–19, 2019–20 एवं 2020–21) का आयकर रिटर्न प्रमाण–पत्र एवं

	पैन कार्ड की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। एम0एस0एम0ई0 स्टार्ट अप पंजीकरण फर्मों को निर्धारित मानकों के अनुरूप छूट प्रदान की जायेगी।
4.	निविदादाता फर्म/कम्पनी का वार्षिक टर्नओवर रु0 40.00 लाख (रू0 चालीस लाख मात्र) का प्रमाण एवं विगत तीन वर्षों (2018–19, 2019–20 एवं 2020–21) का चार्टेड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित टर्नओवर प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। एम0एस0एम0ई0 स्टार्ट अप पंजीकरण फर्मों को निर्धारित मानकों के अनुरूप छूट प्रदान की जायेगी। संयुक्त उद्यम के प्रपत्र मान्य होंगे।
5.	व्यापार कर/जी0एस0टी0 पंजीयन का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6.	फर्म द्वारा विगत तीन वर्षों (2018–19, 2019–20 एवं 2020–21) का जी0एस0टी0 रिटर्न प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। एम0एस0एम0ई0 स्टार्ट अप पंजीकरण फर्मों को निर्धारित मानकों के अनुरूप छूट प्रदान की जायेगी
7.	फर्म द्वारा विगत तीन वर्षों (2018–19, 2019–20 एवं 2020–21) की चार्टेड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट तथा लाभ–हानि खाता संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8.	निविदादाता फर्म/कम्पनी के स्वामित्व संबंधी विवरण हेतु (पार्टनरशिप डीड/एम0ओ0ए0) प्रमाण पत्र संबंधित की छायाप्रति को स्वप्रमाणित करते हुए संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9.	टेक्निकल मैनपावर. जिसमें स्टाफ आदि की, योग्यता का पूर्व विवरण को लेटर–हेड पर देना होगा। साथ ही स्टाफ का आधार कार्ड व फोटो भी संलग्न होना चाहिए।
10.	विगत वर्षों 2019–20 तथा 2020–21 में एलईडी वैन के द्वारा प्रचार–प्रसार के क्षेत्र में सरकारी/गैर सरकारी कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। एम0एस0एम0ई0 स्टार्ट अप पंजीकरण फर्मों को निर्धारित मानकों के अनुरूप छूट प्रदान की जायेगी
11.	एलईडी वैन हेतु जनरेटर, लैपटाप एवं जी0पी0एस0 युक्त होने के साथ ही प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री ब्राण्डेड व गुणवत्ता मानक के अनुरूप उच्चकोटि की तथा प्रभावशील होना अनिवार्य है।
12.	निविदादाता फर्म का कार्यालय लखनऊ में सूचीबद्ध होने के पहले से होना अनिवार्य है। कार्यालय का पूर्ण पता (मय चौहद्दी) लेटर पैड पर देना होगा। यदि कार्यालय स्वामित्व के भवन पर है, तो स्वामित्व का प्रमाण पत्र अथवा किराये पर है, तो किरायेदारी का वैधानिक एग्रीमेन्ट देना होगा। साथ ही नगर निगम लखनऊ में पंजीकृत भी होना चाहिए, जिसके प्रमाण पत्र को संलग्न किया जाना होगा।
13.	फर्म का प्रदेश के किसी भी नगर निगम में एडवर्टाईजिंग कार्य हेतु पंजीकरण होना अनिवार्य है। प्रदेश के बाहर की फर्मों का संबंधित प्रदेश में पंजीकरण होना अनिवार्य है, जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2019–20 या 2020–21 के नवीनीकरण की अद्यतन रसीद संलग्न की होनी चाहिए एवं जमा टैक्स की अद्यतन रसीद (वित्तीय वर्ष 2019–20 या 2020–21 की) भी प्रस्तुत करनी होगी।
14.	फर्म द्वारा निविदा में सफल होने पर 5% धनराशि के सम्तुल्य ज़मानती धनराशि का एफडीआर/बी0जी0 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के नाम से बन्धक करना अनिवार्य होगा, जो किसी शेड्यूल्ड कामर्शिलय बैंक से निर्गत होना चाहिए।
टेक्निकल बिड की शर्तें (B)	
1.	जिन फर्मों की टेक्निकल बिड उपयुक्त पायी जायेगी, उन्हीं फर्मों की फाइनेन्शियल बिड खोली जायेगी।
2.	किसी दुर्घटना/दैवीय आपदा से जुड़ी हुई क्षति के लिये विभाग ज़िम्मेदार नही होगा।
3.	उक्त समस्त कार्य किराया पद्धति के आधार पर किया जायेगा।

4.	निविदादाता फर्म के पास कम से कम प्रत्येक एलईडी वैन में युक्तिसंगत समर्पित/दक्ष/अनुभवी आपरेटर/अभियंताओं की टीम होनी चाहिए। निविदादाता फर्म को बाहर से अथवा किसी तीसरे पक्ष से तकनीकि सहायक टीम की सेवायें लेने की अनुमति होगी। निदेशक द्वारा नामित समिति के सदस्यों द्वारा जांच करायी जा सकती है। जांच में दोषी पाये जाने पर दोषी फर्म के विरूद्ध कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, सूचना का होगा।
5.	उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की टेक्निकल समस्या न उत्पन्न हो इसके लिये स्थायी रूप से संबंधित फर्म द्वारा एक दक्ष अभियन्ता सदैव एलईडी वैन में उपलब्ध रहेगा। इसका पूर्ण विवरण फर्म को लेटर पैड पर देना होगा। यदि इसके अलावा एलईडी वैन में किसी भी प्रकार की खराबी आती है तो फर्म द्वारा 02 घंटे के अन्दर उसे सही किया जाना होगा, अन्यथा की स्थिति में संदर्भित अवधि का भुगतान नहीं होगा। साथ ही भविष्य में फर्म को कार्य न देने पर विचार भी किया जा सकता है।
6.	यदि प्रचार–प्रसार के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होती है अथवा अन्य किसी कारण से एलईडी वैन का प्रदर्शन रोका जाता है तो उस अवधि का किराये का भुगतान व अन्य क्षतिपूर्ति विभाग द्वारा संबंधित फर्म को नहीं किया जायेगा।
7.	एलईडी वैन साउण्ड प्रूफ जनरेटर, आडियो सिस्टम एवं जी0पी0एस0 युक्त होना अनिवार्य होगा।
8.	निविदादाता की कम से कम एक एलईडी वैन की फर्म के स्वामित्व के नाम होना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त हाईड्रोलिक एलईडी वैन होने की दशा में उसे कार्य प्रदान किये जाने में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। सभी एलईडी वैन के स्वामित्व संबंधी समस्त स्वप्रमाणित दस्तावेज़ (रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र) देना आवश्यक होगा। फर्म से अनुबन्ध की कार्यवाही एलईडी वैन का भौतिक सत्यापन करके ही की जायेगी। स्वामी का एलईडी वैन के अनुसार कार्य के दबाव बनाने का अधिकार कदापि नहीं होगा। यदि किसी फर्म द्वारा कार्य देने के लिये दबाव बनाया जाता है, तो उक्त कृत्य के लिये फर्म को ब्लैकलिस्ट करने के लिये पर्याप्त आधार माना जायेगा।
9.	निविदादाता को प्रत्येक LED VAN पर एक सहायक भी नियुक्त करना होगा, जो माईक पर उद्घोषणा करके आमजन को प्रदेश सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु LED VANकी ओर आकर्षित करेगा। ऐसा करने का साक्ष्य फील्ड से ही फोटोग्राफ तथा लघु वीडियोज़ के माध्यम से भेजना होगा।
10.	LED VAN पर नियुक्त सहायक द्वारा डिजिटल कैमरे से प्रदर्शन के दौरान इस प्रकार फोटो खींचे जायेंगे कि उसमें LED VAN के बैक–ग्राउण्ड स्थित पिन प्वांटेड Location भी स्पष्ट रूप से दिखायी दे तथा दर्शकों की भीड़ का आंकलन भी किया जा सके।
11.	LED VAN पर प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापन/कन्टेन्ट का अनुमोदन निदेशक, सूचना द्वारा किया जायेगा। विभाग द्वारा अनुमोदित कंटेट ही प्रसारित किये जायेगें। अनुमोदित कंटेट के अतिरिक्त यदि कोई अन्य कंटेट चलाया जाता है, तो फर्म के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
12.	सूचना निदेशक एवं उनके द्वारा नामित अधिकारी अथवा नामित समिति के निरीक्षण के दौरान यदि कार्य मानक के अनुरूप नहीं या अधूरा पाया जाता है तो संदर्भित देयक से नियमानुसार कटौती की जाएगी।

13.	निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र रू० 100.00 के नान जूडिशियल नोटराइज़्ड स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा कि उसकी फर्म को राज्य सरकार अथवा. केन्द्र सरकार अथवा उसके स्वामित्वाधीन किसी विभाग द्वारा कभी ब्लैक लिस्टेड या अपात्र घोषित नहीं किया गया है। इस आशय का भी घोषणा पत्र रू० 100.00 के नान जूडिशियल नोटराइज़्ड स्टाम्प पेपर पर देना होगा कि किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है और न ही कोई एफआईआर दर्ज है।
14.	निविदादाता द्वारा LED VAN की स्थापना की पुष्टि हेतु स्थान सहित फोटोग्राफ्स, तत्सम्बन्धी समाचार पत्रों में प्रकाशित कटिंग एवं विभागीय ई–मेल एवं जनपद की ई–मेल आईडी पर भेजने संबंधी साक्ष्य भी कार्यादेश निर्गत होने के उपरान्त भुगतान हेतु प्रस्तुत सत्यापन रिपोर्ट/बीजक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15.	प्रत्येक कार्य हेतु प्राप्त न्यूनतम दरों पर फर्म को स्तरीय एवं गुणवत्ता के साथ कार्य करना होगा। कार्य में किसी प्रकार की कमी का उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा। निविदा के माध्यम से प्राप्त न्यूनतम दरों के आधार पर तकनीकी रूप से अर्ह फर्मों के पैनल का निर्माण करते हुये प्रचार–प्रसार का कार्य कराया जायेगा।
16.	किसी भी विवाद की दशा में न्याय क्षेत्र लखनऊ ही होगा। निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को यह अधिकार होगा कि किसी एक फर्म अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त कर सकें।
17.	निविदादाता द्वारा विगत 02 वर्षों 2019–20 तथा 2020–21 में एलईडी वैन के द्वारा प्रचार–प्रसार के क्षेत्र में सरकारी/गैर सरकारी कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
18.	विभाग द्वारा आवंटित किये गये कार्य के सापेक्ष फर्म द्वारा एलईडी वैन संख्या/ नम्बर, ड्राइवर का नाम/मोबाइल नं0, जी०पी०एस० यूजर आईडी एवं पासवर्ड अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराना होगा। यदि आकस्मिक स्थिति में बदलाव करना आवश्यक हो तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित अधिकारी को निर्धारित प्रोफार्मा में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इस दौरान विभाग से स्वीकृति डिजाइन से एलईडीवैन को ब्राण्डिंग कराये जाने पर संबंधित फर्म को कोई अतिरिक्त भुगतान नही दिया जायेगा।
19.	फर्म द्वारा स्वामित्व संबंधी उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के जाचोंपरान्त एवं भौतिक निरीक्षण के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी, किसी भी गलत तथ्य के लिए फर्म एवं उसके स्वामित्व की पूर्णरुप से जिम्मेदारी होगी। प्राप्त अभिलेखों की जाचोंरान्त ही कार्य आवंटित किया जायेगा।
20.	फर्म के पास अनुबन्ध के समय जिस साइज की एलईडी होगी, उसी का कार्यादेश फर्म को विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा।
21.	मांग के सापेक्ष कार्य से मना करने पर फर्म को कार्य न दिये जाने का पूर्ण अधिकार सूचना निदेशक का होगा। यदि फर्म द्वारा मांग के सापेक्ष कार्य से मना करने पर फर्म को भविष्य में कार्य न दिये जाने का पूर्ण अधिकार सूचना निदेशक का होगा। साथ ही कार्य से मना करने को फर्म को ब्लैक लिस्ट करने का पर्याप्त आधार माना जायेगा।
22.	निविदादाता फर्म/कम्पनी के स्वामित्व संबंधी विवरण हेतु (पार्टनरशिप डीड/एम0ओ0ए0) प्रमाण पत्र संबंधित की छायाप्रति को स्वप्रमाणित करते हुए संलग्न करना अनिवार्य होगा।

23.	फर्म के स्वामी को कभी दिवालिया घोषित न किया गया हो, इस आशय का शपथ पत्र रू० 100.00 के नान जूडिशियल नोटराइज़्ड स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
24.	फर्म द्वारा जितने भी प्रपत्र प्रस्तुत किये जायेंगे, उन सभी पर फर्म स्वामी के मुहर सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा।
25.	यदि फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये एलईडी वैन के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (आर0सी) में किसी भी प्रकार की अनियमितता पायी जायेगी, तो उक्त फर्म की अर्हता निरस्त कर दी जायेगी।
26.	निविदा अवधि को बढ़ाये जाने का अधिकार, सूचना निदेशक का होगा तथा 01 बार में अधिकतम 06 माह के लिये ही निविदा अवधि को बढ़ाया जायेगा।
27.	फर्म को इस आशय का एक शपथ पत्र रू0 100–00 नान जूडिशियल नोटराइज़्ड स्टाम्प पेपर पर देना होगा कि उपरोक्त तालिका A के बिन्दु–1 से 12 तक एवं तालिका B बिन्दु–1 से 26 तक में कही गयी बातें पूर्णतः तथ्यों पर आधारित हैं। भविष्य में यदि उपरोक्त तथ्यों / अभिलेखों में कोई भ्रामक स्थिति उत्पन्न होती है, तो नियमानुसार फर्म के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने का अधिकार निदेशक, सूचना को होगा।
28.	निविदा–दाता फर्म के सफल होने पर जमानती धनराशि के साथ कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व रू० 100.00 नान जूडिशियल नोटराइज़्ड स्टाम्प पेपर पर सूचना निदेशक से एक अनुबंध भी करना अनिवार्य होगा।

Shishir

(शिशिर)
सूचना निदेशक।

टेक्निकल बिड

फर्म का नाम–:

1– रू0 4,000/– का निविदा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो कि निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के पक्ष में देय लगाना अनिवार्य होगा।

बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0संख्या	दिनांक	बैंक का नाम

2–रू0 5,00,000/– की अर्नेस्ट मनी बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0, जो कि निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के पक्ष में देय के रूप में लगाना अनिवार्य होगा। (एम0एस0एम0ई0 स्टार्टअप पंजीकरण फर्मों को निर्धारित मानकों के अनुरूप छूट प्रदान की जायेगी।)

बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 संख्या	दिनांक	बैंक का नाम

3– विगत वित्तीय वर्षों 2018–19, 2019–20 तथा 2020–21 की आयकर रिटर्न की प्रमाणित प्रति एवं पैन नं0 प्रमाण पत्र तथा स्वामित्व संबंधी विवरण, पार्टनरशिप,एम0ओ0ए0कीछायाप्रति

पैन नं0		
इनकम टैक्स रिटर्न		
पार्टनरशिप,एम0ओ0ए0 की छायाप्रति		

4. जी0एस0टी0 प्रमाण–पत्र, की छायाप्रति संलग्न करें।

जी0एस0टी0 का विवरण		

5. जी0एस0टी0 रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करें। (एम0एस0एम0ई0 स्टार्टअप पंजीकरण फर्मों को निर्धारित मानकों के अनुरूप छूट प्रदान की जायेगी।)

क्र0स0	वर्ष		
1	2018—19		
2	2019—20		
3	2020—21		

6— पास उपलब्ध एलईडी वैन के साईज़ व नम्बर का विवरण

क्र0स0	एलईडी वैन का साइज़	एलईडी वैन का नम्बवर	वैन के स्वामित्व का विवरण	वैन का आर0 सी0 नम्बर

7— टर्न ओवर/वित्तीय विवरण। (एम0एस0एम0ई0 स्टार्टअप पंजीकरण फर्मों को निर्धारित मानकों के अनुरूप छूट प्रदान की जायेगी।)

अ. निविदादाता द्वारा फर्म/कम्पनी का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 40 लाख चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित टर्न ओवर प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

ब. चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित विगत वर्षों की बैलेन्स शीट की छायाप्रति।

क्र0स0	वर्ष		
1	2018—19		
2	2019—20		
3	2020—21		

<u>8– सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव कार्य प्रमाण पत्र</u>

क0स	वर्ष	सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के नाम व प्रमाण पत्र संलग्न
1	2019–20	
2	2020–21	

9– नगर निगम पंजीकरण का विवरण, का पंजीकरण प्रमाणपत्र

नगर निगम पंजीकरण संख्या	दिनांक	फोटो प्रति संलग्न

10–शपथ पत्र

1	**अधिकृत व्यक्ति**	
2	**ब्लैक लिस्टेड**	
3	**सत्यता/प्रमाणिकर्ता**	

<u>नोट</u> :– समस्त अभिलेख फ्लैगिंग करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता एवं मोहर

फर्म का नाम –

फर्म का पता –

व्यापार कर पंजीयन/जी0एस0टी0 संख्या –

मोबाइल नम्बर –

प्रोपराइटर का नाम –

फर्म का ई–मेल –